‘युवा संसद’

प्रतिमान (मॉडल) वाद-विवाद

संसदीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

2005

प्रस्तावना

युवा संसद की लघु बैठक का प्रतिमान आलेख

युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यालयों द्वारा युवा संसद की लघु बैठक के लिए आलेख तैयार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने यह प्रतिमान आलेख तैयार किया है।

यद्यपि यह विस्तृत नहीं है, फिर भी इसमें अत्यन्त महत्वपूर्ण मदें जो युवा संसद की बैठक के कार्यक्रम में सम्मिलित की जा सकती हैं। दूसरी अन्य मदें जो भाग लेने वाले विद्यालय अपने कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, वे हैं स्थगन प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि, जिनकी उपयुक्त व्याख्या "युवा संसद का आयोजन" नामक पुस्तक तथा "युवा संसद आयोजित करने के लिए पद्धति और प्रक्रिया" टिप्पण में दी गई है और जिनकी प्रतियां प्रतिभागी विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई हैं।

प्रतिमान आलेख में सम्मिलित विभिन्न मदों में से निम्न मदों को जैसे प्रश्नकाल, कागजातों का सभा-पटल पर रखा जाना तथा विधायी कार्य अथवा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प को सभी विद्यालयों द्वारा अपने युवा संसद के कार्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए। जहां तक अपरोक्त पुस्तिका तथा टिप्पण और आलेख में भी स्पष्ट किए गए विषयों को सम्मिलित करने का प्रश्न है युवा संसद योजना के नियमों और विनियमों में निर्धारित एक घंटे की बैठक की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने विवेकानुसार शेष मदों को सम्मिलित कर सकते हैं।

यह नोट कर लें कि इस संकलन का प्रयोग मार्ग-दर्शन और संदर्भ के रुप में किया जाए। इसकी नकल नहीं करें।

विषय-वस्तु

पृष्ठ

शपथ ग्रहण . . . .

निधन संबंधी उल्लेख. . . . .

नये मंत्रियों का परिचय. . . . .

प्रश्नकाल . . . .

विशेषाधिकार का पुनः भंग होना. . . . .

सभा-पटल पर कागजों का रखा जाना. . . . .

राज्य सभा से संदेश. . . . .

डैनिश प्रतिनिधि मण्डलों का स्वागत. . . . .

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव. . . . .

विधायी कार्य; 1. विधेयको का पुर:स्थापन, 2. विधेयकों पर विचार करना. . . .

3. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प. . . . . . .

युवा संसद
बैठक की कार्यवाही
(अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर)
शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदय: सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय।

महासचिव: श्रीमती "क" जो राजस्थान की पाली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगी । (श्रीमती "क" का नाम पुकारते हैं), (श्रीमती "क" अपने स्थान से उठकर सचिव की मेज के दाहिने ओर पहुंचती हैं, तथा पटल पर अधिकारी को अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र देती हैं)।

महासचिव: महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी।

श्रीमती "क": महोदय, मैं शपथ लूंगी।

महासचिव: आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी?

श्रीमती "क": अंग्रेजी में श्रीमान।
(महासचिव, श्रीमती "क" को जिस भाषा में वे शपथ ग्रहण करना चाहती हैं उस भाषा में शपथ के प्रपत्र (फार्म) की एक प्रति देते है)

श्रीमती "क": "मैं, '**क**' जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं, कि में विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्वा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्त्तव्यों का श्रद्वापूर्वक निर्वहन करूंगी।" (तत्पश्चात सदस्य शपथ-पत्र को महासचिव की मेज पर रखेंगी और अध्यक्ष से हाथ मिलाएंगी। इसके बाद सदस्य पीछे की ओर से महासचिव की मेज के दूसरी तरफ जाती हैं और वहां जाकर सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करती हैं। नामावली में हस्ताक्षर करने के बाद वे सदन में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। सदस्यगण मेजें थपथपा कर उनका स्वागत करते हैं)।

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम मिल रहे हैं। मेरा यह दु:खद कर्त्तव्य है कि मैं सदन को हमारे पूर्व सहयोगी श्री सुरेश चन्द्र के निधन की सूचना दूं । श्री सुरेश चन्द्र पेशे से एक कृषक और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होनें कृषि श्रमिकों के कल्याण, पिछडे़ वर्ग एवं दलित लोगों के उत्थान के लिए अपना समय और शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई। वे मजदूर सभा, मिर्जापुर के अध्यक्ष थे।

वे एक सक्रिय सांसद और प्रभावी वक्ता थे तथा सदन की कार्यवाही में बहुत रूचि लेते थे।

उनका निधन 35 वर्ष की आयु में, 30 जून, 1988 को नई दिल्ली में हुआ।

प्रधान मंत्री और सदन के नेता: श्रीमान, मैं सुरेश चन्द्र, जिनकी मत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है, को अपनी श्रद्वांजलि अर्पित करता हूं। वे एक नौजवान युवक थे और एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से सम्बन्ध रखते थे। उनके पिताजी ने बहुत नाम कमाया और इस परम्परा को उनके परिवार ने आगे बढाया। वे अन्तिम क्षणों तक हमारे साथ थे। वे स्वस्थ और प्रसन्न नजर आते थे, इसी कारण उनके निधन का शोक सबसे अधिक है। उनका भविष्य उज्जवल था। मैं उनके परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।

विपक्ष के नेता: श्रीमन मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्वांजलि में अपने को भी सहयोजित करता हूं।

श्री सुरेश चन्द्र के साथ एक साथी के रूप में काम करने का मेरा सौभाग्य था। वह अपने मृदु स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे और उन्होंने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया। वे सदैव मुस्कुराते रहते थे और एक खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके न रहने से हमने एक बहुत अच्छा सामाजिक, राजनैतिक एवं सार्वजनिक कार्यकर्ता खो दिया है।

मैं शोक-संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को सहयोजित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: सदन अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खडे़ होंगे । (तत्पश्चात सदस्यगण कुछ क्षणों के लिए मौन खडे़ हुए)।

महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे।

नये मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री नये मंत्रियों का परिचय कराएंगे।

प्रधान मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने इन साथियों, नए मंत्रियों का सदन में परिचय कराता हूं।

श्री ---सिंचाई मंत्री।
श्रीमती---नागरिक आपूर्ति मंत्री।

(परिचय कराते समय प्रत्येक मंत्री खडे़ होकर हाथ जोड़ते हैं। सदस्यगण मेजें थपथपा कर उनका स्वागत करते हैं)

प्रश्न काल

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्नकाल आरम्भ होता है । प्रश्न संख्या 101, श्री "क"।

श्री "क" : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 101, क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक और तार विभाग को, एस.टी.डी. सुविधा का अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग किए जाने के सम्बन्ध में टेलीफोन उपभोक्ताओं से बडी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय संचार मंत्री।

संचार मंत्री: (क) जी हां, इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बहुत से मामलों में जांच-पडताल से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में मीटर रीडिंग में कोई बढोतरी नहीं पाई गई और न कोई अनधिकृत कनेक्शन का पता लगा। कुछ मामलों में अनधिकृत कनेक्शनों का पता चला और इस अनुचित कार्य में लगे वयक्तियों के विरूद्व कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का निम्नलिखित कार्रवाई करने का विचार है:-

1. लाइनों के अनधिकृत रूप से जोडने को एक गम्भीर अपराध बनाने के लिए भारतीय तार अधिनियम में संशोधन।
2. किसी भी प्रकार के दुरूपयोग की जांच करने के लिए सतर्कता दस्तों का गठन।
3. इस प्रकार के मामलों का और अधिक आसानी से पता लगाने के लिए चार्ज एनालाइजर्स का आयात।

अध्यक्ष महोदय: श्री "क"

श्री "क" : श्रीमन, कुछ अनधिकृत कनेक्शनों का पता लगा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा क्या खास कदम उठाए गए हैं।

संचार मंत्री : उठाए गए खास कदमों को मोटे तौर पर बता दिया गया है। हमारे पास एक सतर्कता दस्ता है जो तत्काल कार्रवाई करता है। मै दर्ज की गई शिकायतों की सही-सही संख्या नहीं बता सकता हूं। यह जानकारी एकत्रित की जा रही है उदाहरण के रूप में दिल्ली में पिछले वर्ष के दौरान बता सकता हूं।

एक अन्य सदस्य: क्या 21 दिन का नोटिस मंत्री जी को सूचना एकत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। श्रीमन, क्या सदन में इस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए?

संचार मंत्री: मुझे यह जानकारी एकत्रित करने के लिए नहीं कहा गया था। मैंने तो केवल प्रसंगवश ही यह कहा था कि दिल्ली में पिछले वर्ष के दौरान 50 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी शिकायतों की जांच-पडताल की गई थी और तीन शिकायतों में गलत कनेक्शन का पता लगा था। इन सभी मामलों मे कर्मचारियों की पहचान कर ली गई और उनके विरूद्व कार्रवाई की गई।

अध्यक्ष महोदय: श्री "ख"

श्री "ख": महोदय, यह बताया गया है कि "चार्ज एनलाइजर्स" को आयात किया जा रहा है। हम अंतिम चरण में आ गए हैं। मैं ठीक से यह नहीं कह सकता हूं कि आयात करने में कितना समय लगेगा। परंतुं हम अन्तिम चरण में हैं।

संचार मंत्री: श्रीमन, आयात करने में कार्रवाई कई चरणों में की जानी अपेक्षित होती है। हम अब अन्तिम चरण में हैं। मैं सही समय नहीं बता सकता। लेकिन यह कहूंगा कि हम अन्तिम चरण में हैं।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न संख्या 102 श्री "ग"

श्री "ग": अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 102, क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ज्वार तरंगों से विद्युत उत्पादन की क्षमताओं का निर्धारण किया हैं,
(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है,
(ग) ज्वार तरंगों से उत्पन्न विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत तथा पारम्परिक तरीकों से- जल-विद्युत तथा ताप-विद्युत की तुलनात्मक उत्पादन लागत,
(घ) क्या सरकार ने कच्छ की खाडी में ज्वार विद्युत स्टेशन स्थापित करने की कोई योजना बनाई हैं,
(ड) यदि हां, तो क्या इस तरह के संयंत्र बंगाल की खाडी जैसे अन्य स्थानों पर भी स्थापित करने की योजना है, और
(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या हैं।

अध्यक्ष: माननीय उर्जा मंत्री।

उर्जा मंत्री: महोदय (क) से (च): केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कच्छ की खाडी में ज्वार उर्जा परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन एवं जांच कार्य किया है जिसकी स्थापित क्षमता 900 मेगावाट होगी। वर्तमान में ज्वार उर्जा परियोजना को कहीं और स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कच्छ की खाड़ी में ज्वार उर्जा उत्खनन कार्य की कीमत प्रति यूनिट 85 पैसा होगी। पारम्परिक जल तथा ताप बिजली संयंत्रों से उत्पन्न बिजली की औसत लागत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में निर्धारित की गई है जो निम्न प्रकार से है:-

जल-विद्युत (हाइड्रो) - 35 से 60 पैसे प्रति यूनिट
ताप-विद्युत - 50 से 85 पैसे प्रति यूनिट

अध्यक्ष : श्री "ग"

श्री "ग": महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि कच्छ की खाडी में प्रस्तावित संयंत्र की ज्वार विद्युत की अनुमानित लागत 85 पैसे प्रति यूनिट होगी तथा जल-विद्युत की लागत क्रमश: 35 से 60 पैसे तथा ताप विद्युत की 50 से 85 पैसे प्रति यूनिट होगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वायु और सौर उर्जा प्रणालियों से विद्युत उत्पादन की अनुमानित लागत कितनी होगी और अगर वायु और सौर प्रणाली से विद्युत उत्पादन की लागत जल विद्युत और ताप विद्युत

प्रणाली इत्यादि की तुलना में कम है तो क्या देश में वायु और सौर ऊर्जा की इन प्रणालियों से बिजली उत्पादन बढाने के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

उर्जा मंत्री:श्रीमन जहां तक वायु का संबंध है, इसकी अनुमानित लागत 80 से 90 पैसे तक आंकी गई है और वर्तमान में सौर ऊर्जा का अगर हम सही निर्धारण करें तो काफी महंगी पडेगी क्योंकि अभी तक हम सौर ऊर्जा का वाणिज्यिक स्तर पर आकलन करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं परंतु जांच की जा रही है। यदि उत्पादन स्तर पर लागत देखते हैं तो सौर उर्जा की लागत लगभग 2/- रूपये आएगी जो कि ताप ऊर्जा से अधिक है। हमें उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली कीमत को भी ध्यान में रखना है। अगर इसे ध्यान में रखा जाता है तो हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा तुलना और प्रतिस्पर्धा में आ सकती है और हम यह करने का प्रयास कर रहे है। अब हम राजस्थान में 30 मेगावाट बिजली का सौर संयंत्र लगाने का प्रयास कर रहे हैं। योजना पर कार्य किया जा रहा है।

अध्यक्ष: श्री "डी"।

श्री "डी": क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या विद्युत उत्पादन 500 मेगावाट तक बढाया जा सकता है और क्या विकसित नई देशी तकनीक का पूरा इस्तेमाल करके 30 लाख टन कोयले की बचत की जा सकती है।

उर्जा मंत्री: श्रीमन मैं इस बात से सहमत हूं कि ज्वार ऊर्जा का प्रयोग करके हम कोयला बचा सकेगें क्योंकि तटीय क्षेत्रों में कोयला ढोना कठिन होता है। इसलिए यदि हम अपने संयंत्र से ज्वार ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो हम कच्छ क्षेत्र से करीब 900 मेगावाट विद्युत प्राप्त कर सकते है। यदि हिसाब लगायें तो यह लागत कोयले के परिवहन के 80 पैसे के बराबर बैठेगी। कोयले के प्रयोग को बचाया जा सकेगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं।

अध्यक्ष: श्रीमती "ई"

श्रीमती "ई": श्रीमान, ऊर्जा का उत्पादन एक महत्वपूर्ण पहलू है और देश में ऊर्जा प्रणाली के पूर्ण समन्वित विकास के लिए मैं मंत्री महोदय तथा मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं। लेकिन ऊर्जा का परिवहन या ऊर्जा का संचरण एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि संचरण में अब तक 30 प्रतिशत नुकसान होता है। संचरण लागत को बचाने, विशेषकर उच्च चालकता के क्षेत्र में आप क्या-क्या विशेष साधन तथा अनुसंधान कर रहे हैं। विद्युत के संचालन के सम्बन्ध में विशेषकर उच्च चालकता प्रणाली के बारे में टेक्नोलोजी त्था उच्च तकनीक कार्यक्रम के लिए आपके कार्यक्रम क्या हैं।

ऊर्जा मंत्री: जहां तक संचलन के नुकसान का संबंध है आज संचालन का औसत नुकसान करीब 21 से 23 प्रतिशत है, इसका आधा चोरी किया जाता है। हमने केन्द्रीय कानून बनाए हैं। इसे बचाने के लिए राज्यों के भी कानून हैं। केवल सांठ-गांठ द्वारा ही चोरी संभव है। हम कडे कदम उठाना चाहते हैं। राज्य विद्युत बोर्ड को इस मामले में कडे कदम उठाने चाहिए।

जहां तक तकनीकी नुकसान का सवाल है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि चालकता जैसी नई तकनीक में तकनीकी नुकसान को तेजी से रोका जा सकेगा तथा हमारा देश वास्तक में उच्च चालकता में

अनुसंधान करने के क्षेत्र में विश्व के अग्रणनीय देशों में आता है। मुझे आशा है कि यह ऊर्जा संचालन के क्षेत्र में वरदान साबित होगा।

अध्यक्ष: अगला प्रश्नः प्रश्न संख्या 103, श्री "जी"।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य अनुपस्थित है। अगला प्रश्नः प्रश्न संख्या 103, श्री "एच"।

श्री "एच": श्रीमन, क्या खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में खाद्यान्न भंडार की ताजा स्थिति क्या है,
(ख) क्या वर्तमान सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास देश की आवश्यकता के मुताबिक खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, और
(ग) यदि नहीं, तो स्थिति से निबटने के लिए सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले उपाय,

अध्यक्ष: माननीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री : (क) श्रीमन 1 जनवरी 1988 को सरकारी एजेन्सियों के पास खाद्यान्न का कुल भंडार लगभग 14.14 लाख टन आंका गया था।

(ख) तथा (ग): खाद्यान्न का उपलब्ध भंडार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वसूली अभियानों के द्वारा भंडार की नियमित प्रतिपूर्ति की जाता है। इसके अलावा जब भी आवश्यकता पडेगी सरकार के पास खाद्यान्न बाहर से आयात करने के लिए भी विकल्प है।

अध्यक्ष: श्री "एच"।

श्री "एच": श्रीमन क्या यह सत्य है कि खाद्यान्न के भंडारों में जुलाई, 1987 के दौरान 23 लाख टन से 15 लाख टन तक गिरावट आई है। यदि ऐसा है तो सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है। क्या रबी की फसल के दौरान चावल और गेहूं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री : श्रीमन जहां तक खाद्यान्न की उपलब्धता का सम्बन्ध है सुरक्षित भंडार नीति की जरूरत 21.1 लाख टन है। इसकी तुलना में हमारे सुरक्षित भंडार में 14.44 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध है तथा केवल 6 लाख टन कमी है। मुझे आशा है कि यह कमी आगामी रबी तथा खरीफ के मौसम में पूरी हो जाएगी। जहां तक भंडारण क्षमता का प्रश्न है हमारी यह नीति है कि हम अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का भी निर्माण करें ताकि खाद्यान्नों के स्टाक के अनुसार विभिन्न स्थानों पर भण्डारण किया जा सके। हमारी यह नीति है कि हमारी नीति के अंतर्गत किया जा सके। यदि आप वर्तमान भंडारण क्षमता के बारे में जानना चाहते हैं, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दे सकता है। यह विभिन्न स्थानों पर स्थित स्थानों पर स्थित स्थानों की एक लम्बी सूची है।

अध्यक्ष: श्रीमती "आई"

श्रीमती "आई": श्रीमन, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या खाद्यान्न की कमी के कारण सरकार ने ऐसी किस्म के गेहूं और चावल सप्लाई किए जो मानव के लिये अखाद्य थे। इस तरह के समाचार कुछ राज्यों से प्राप्त हुए हैं और राज्य सरकारों को इसके बारे में शिकायत भी की गई है। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं और इस विषय में सरकार ने क्या उदम उठाए हैं।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री : माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है। मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्रीमती "आई" : श्रीमन, यह सूचना उनके पास होगी क्योंकि इसका सम्बन्ध खाद्यान्न की कमी से है।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री : माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है मुझे इस शिकायत का पता नहीं है। आपने यह सूचना दी है। मैं अवश्य इसकी जांच करूंगा।

श्रीमती "आई" : श्रीमन, यह एक गंभीर मामला है। सडे़ हुए खाद्यान्न का वितरण निश्चय ही लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालेगा। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष: हां, क्या माननीय मंत्री इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री : श्रीमन, इस पर कोई दो मत नहीं हैं कि यह एक बहुत गंभीर मामला है। देश के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वितरण प्रणाली द्वारा अच्छे किस्म का खाद्यान्न वितरित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्यान्न की गुणवत्ता को गोदामों और दुकानों पर जांच करने के लिए विशेष कोष्ठ बनाए गए हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष ब्यौरा है तो मैं इसकी जांच करवाउंगा और दोषी व्यक्ति के साथ कडाई से पेश आया जाएगा।

अध्यक्ष: अगला प्रश्न: संख्या 105, श्री "जे"।

श्री "जे": अध्यक्ष महोदय श्रीमन, प्रश्न:संख्या 105: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान वर्षानुसार, पर्यटकों से प्राप्त विदेशी मुद्रा की आय, तथा

(ख) उन पांच देशों के नाम जहां से सबसे ज्यादा पर्यटक भारत आये।

अध्यक्ष: माननीय पर्यटन मंत्री।

पर्यटन मंत्री: श्रीमन पर्यटन से पिछले तीन वर्षो के दौरान हुई विदेशी मुद्रा आय निम्न प्रकार से है:-

(क) 1984-85 में 1300 करोड रूपये, 1985-86 में 1460 करोड रूपये तथा 1986-87 में 1780 करोड रूपये तथा

(ख) वर्ष 1987 के दौरान सबसे ज्यादा पर्यटक जिन देशों से आये वे हैं:-
बांगला देश, ब्रिटेन, पाकिस्तान, अमेरिका तथा श्रीलंका।

अध्यक्ष: श्री "जे"

श्री "जे": विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटक तथा उनसे प्राप्त विदेशी मुद्रा कितनी है तथा किस देश से पर्यटक के आने से हमें सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री

पर्यटन मंत्री: श्रीमन अपने वक्तव्य में मैंने पांच देशों के नाम दिए हैं। विभिन्न देशों से 1986-87 के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा इस प्रकार है:-

ब्रिटेन-14 प्रतिशत, अमेरिका 11 प्रतिशत, पर्यटन यात्रा में तदनुसार वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष: श्री "पी"

श्री "पी": सोवियत संघ से पर्यटकों की संख्या तथा उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

पर्यटन मंत्री: हाल ही में पर्यटन पर्यटन विनिमय के लिए विभिन्न स्तरों पर सोवियत संघ के साथ कई कदम उठाये गये हैं। मेरे पास सही आंकडे नहीं हैं। लेकिन पिछले वर्ष हमने सोवियत संघ तथा अन्य स्थानों पर विनिमय संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया। हम सोवियत संघ से अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देश-वार विनिमय संवर्धन कार्यक्रम का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष: श्री "एल"

श्री "एल": क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत की क्षमता का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया है; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि किस स्तर तक इस क्षमता का अभी तक सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

पर्यटन मंत्री: विश्व में भारत की पर्यटन क्षमता काफी है क्योंकि हमारे यहां काफी पुरातन स्मारक है। 1985 में पर्यटन मंत्रालय बनने के बाद हमने पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हमारे विदेशों में 18 कार्यालय हैं जो पर्यटकों को भारत आने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। हम पर्यटन से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा की हस्तकला से प्राप्त किसी मुद्रा के साथ तुलना कर सकते हैं। हस्तकरघा में जहां हम 100 रूपये कमाने के लिए 75 रूपये खर्च करते हैं। वहीं हम पर्यटन में 100 रूपये कमाने के लिए केवल 7 रूपये खर्च करते हैं। इससे पता चलता है कि पर्यटन में कमाने के ज्यादा साधन हैं। पर्यटन की जो आधारभूत संरचना वर्षो से हमारे देश में बनी है, बहुत बडी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगी। हमने बडी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सर्वे और अध्ययन किए हैं। वर्ष 1986 में 1 लाख से अधिक पर्यटक भारत में आए। इससे पता चलता है भारत में अधिक विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं।

अध्यक्ष: प्रश्न काल पूरा होता है (व्यवधान) कृपया और कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं।

विशेषाधिकार का हनन

श्री "टी": श्रीमन, लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करते समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध समाचार-पत्र ने गंभीर रूप में विशेषाधिकार हनन किया है। समाचार-पत्र ने बेईमानी का आरोप लगाया है तथा मैंने आपसे निवेदन किया है कि मुझे इस मामले को अब उठाने दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री "टी" क्या आपने इस सम्बन्ध में पहले नोटिस दिया है। आप समाचार-पत्र की कटिंग के साथ उपयुक्त नोटिस दे सकते हैं और मैं उस पर विचार करूंगा। आप अचानक इस प्रकार प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

श्री "टी": मैंने आज प्रात: 10.00 बजे इसका नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: इसकी जांच की जायेगी और जब वह मेरे पास आयेगा, मैं इस पर विचार करूंगा और आपको अपना निर्णय बता दूंगा। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

कागजातों का सभा-पटल पर पत्र रखा जाना

अध्यक्ष: माननीय इस्पात और खान मंत्री

इस्पात और खान मंत्री: श्रीमन, आपकी अनुमति से मैं खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर) की एक-एक प्रति सभा-पटज पर रखता हूं:-

(1) भारत के राजपत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या सा.नि. 1002 (ई) में प्रकाशित खनिज छूट (तीसरा संशोधन) नियम, 1987

(2) भारत के राजपत्र दिनांक 4 फरवरी, 1988 के सा.आ. 145 (ई) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुबन्ध की सूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में यथावश्यक जानकारी प्राप्त करने के उददेश्य से ऐसे ब्यौरेवार अन्वेक्षण के लिये भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को प्राधिकृत करना।

अध्यक्ष: माननीय कृषि मंत्री

कृषि मंत्री : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की उप-धारा 619-क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित कागजात की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वर्ष 1986-87 के लिए स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., नई दिल्ली के कार्य चालन को सरकार द्वारा पुनरीक्षा।

(2) वर्ष 1986-87 के लिए स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया लि., नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन परीक्षित लेखा और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां के साथ।

अध्यक्ष: माननीय शहरी विकास मंत्री।

शहरी विकास मंत्री: श्रीमन, आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित कागजात की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तर) सभा-पटल पर रखता हूं

(1) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि., हैदराबाद की वर्ष 1986-87 की वार्षिक रिपोर्ट की सरकार द्वारा पुनरीक्षा।

(2) पुनरीक्षित लेखा और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के साथ। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि. हैदराबाद की वर्ष 1986-87 की वार्षिक रिपोर्ट।

राज्य सभा से संदेश

अध्यक्ष: महासचिव, युवा संसद की राज्य सभा से प्राप्त सन्देश को पढेंगें।

महासचिव: श्रीमन, मुझे युवा संसद की राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है:-
युवा संसद की राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अनुसार मुझे अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) विधेयक, 1988 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निदेश हुआ है, जो राज्य सभा द्वारा, 1988 को हुई इसकी बैठक में पारित किया गया था।

अध्यक्ष: महासचिव, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विधेयक की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे।

महासचिव: महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) विधेयक, 1988 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

डेनिश के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का स्वागत

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे एक घोषणा करनी है:

मेरी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम श्री स्वन्द जकोबसेन, डेनमार्क संसद के अध्यक्ष तथा डेनमार्क के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल के माननीय सदस्य, जो हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करता हूं।

प्रतिनिधि मण्डल के अन्य सदस्य हैं:-

1. श्री कुद ओस्तरगेयर्ड, उपाध्यक्ष
2. श्रीमती लिलि गिलडेनकिल्डे, उपाध्यक्ष
3. श्री पाल वान्डस्टेड, उपाध्यक्ष
4. श्री ओल विग जैनसेन अन्य, उपाध्यक्ष

यह एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मण्डल है। प्रतिनिधिमण्डल रविवार, 1988 को यहां पहुंचा है वे इस समय विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद लाभप्रद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम

से डेनमार्क की महामहिम महारानी, प्रधानमंत्री, डेनिश संसद तथा डेनमार्क के मित्र लोगों को हार्दिक शुभकामनायें देते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। श्री "क" मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे

श्री "क": श्रीमन, केन्द्र द्वारा राज्यों की खाधान्न की तथाकथित अपर्याप्त पूर्ति से उत्पन्न स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की ओर, मैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :मंत्री महोदय

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री: श्रीमन, राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र प्रति मास, केन्द्रीय सरकार को, केन्द्र के भण्डार के सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा बांटने के लिए केन्द्रीय भण्डार से अपेक्षित अपनी खाधान्न की आवश्यकता सूचित करते हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का वितरण मासिक आधार पर, केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की उपलब्धता और अन्य प्रासंगिक पहलूओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। इनकी प्रति मास पुनरीक्षा की जाता है और तदनुसार आबंटन किया जाता है।

वर्ष, 1987 के दौरान, सारे देश में खाद्यान्न की 153.61 लाख टन की कुल मात्रा वितरित की गई थी। यह 1987 में वितरित की गई मात्रा, जो कि 140.26 लाख टन थी, से काफी ज्यादा है। केन्द्र और राज्यों के स्टाक से खाद्यान्न की उठाव, देश के कुछ ि‍हिस्सों में वर्षा का न होना और फलस्वरूप सूखें की स्थिति, के कारण बढा है । सरकार सार्वजनिक वितरण योजना की बढी हुई मांग को, सरकार द्वारा बनाए गये स्टाक में से पूरा कर सकी है। सामान्य आबंटन के अतिरिक्त राज्यों की आपात स्थितियों जैसे बाढ, सूखा और अन्य प्राकृतिक संकटों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आबंटन किये गये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और रोजगार वृद्धि योजना के लिए भी आबंटन किये गये हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मूलत: गरीब जनता की, उनको काम और अन्न प्रदान करके मदद करती है। वर्ष, 1988-89 के दौरान इन दो योजनाओं के अधीन आबंटित की गई मात्रा लगभग 5.75 लाख टन है।

इस सम्बन्ध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि खाद्य अर्थ-व्यवस्था का प्रबन्ध केन्द्र और राज्य दोनों का संयुक्त प्रयास होना चाहिए । केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की उपलब्धता जहां से सार्वजनिक वितरण योजना के लिए मदद मिलती है, उसको तभी बनाये रखा और बढाया जा सकता है जबकि राज्यों की तरफ से भी अन्न की वसूली के स्वैच्छिक प्रयास किये जायें और सारे देश के हित में, केन्दीय सरकार की नीति के अनुरूप विवेकपूर्ण और न्याय संगत आबंटन किया जाए। अत: यह केवल राज्य सरकारों द्वारा मांग और केन्द्र द्वारा पूर्ति का ही प्रश्न नहीं है बल्कि देश की सम्पूर्ण खाद्य- स्थिति के संदर्भ में खाद्य प्रबंध और विवेकपूर्ण सार्वजनिक वितरण के बारे में आपसी प्रयास का मामला है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण पद्धति जनता की जरूरतों के केवल एक अंश को ही पूरा कर सकती है। विशेषत: समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछडे वर्ग की पूरी आबादी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री "क"

श्री "क": अध्यक्ष महोदय, मुझे वास्तव में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना है कि उन्होंने केन्द्र द्वारा राज्यों को खाद्यान्न की अपर्याप्त पूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए मुझे कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान किया। वह भी ऐसे समय में जब कि मेरा अपना राज्य इस स्थिति में नहीं है कि वह तमिलनाडु के लोगों को तीन-चार सप्ताह भी अन्न दे सके।

दूसरा सदस्य: वहां पर पानी भी नहीं है।

श्री "क": यहां पर हम केवल खाद्यान्न पर चर्चा कर रहे हैं, श्रीमन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे देश में कई राज्य हैं, प्रत्येक राज्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है जिसका अन्न उत्पादन खपत से अधिक है वह चावल अथवा गेहूं जैसी स्थिति हों, की वसूली के बाद केन्द्रीय भण्डार को दें। और मैं यह भी महसूस करता हूं कि केन्द्र का भी कर्त्तव्य है कि वह संबंधित राज्यों को चावल भेजे जब कि उनकी वास्तव में ही आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ आपसी तालमेल न केवल बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण बल्कि एक सुखद वातावरण बना सकते है।

श्रीमन जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, हमारे पास वह प्राकृतिक साधन नहीं है जो कि इस देश में कई राज्यों के पास है। जैसाकि उन्होंने कहा हमारे पास न गोदावरी है और न कृष्णा है। हमारे पास अपनी खेती की सिंचाई करने के लिये भी पर्याप्त पानी नहीं है, लेकिन श्रीमन जब हमारे पास चावल प्रचुर मात्रा में था हम उसे अपने केन्द्रीय भण्डार में दिया करते थे। लेकिन श्रीमन विशेष रूप से वर्ष, 1987 के दौरान, हमने ऐसे संकट का सामना किया कि हमने तमिलनाडु के समस्त इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया। जहां तक मैं जानता हूं कि मैंने कभी ऐसी मुसीबत और तकलीफ को न देखा अथवा न सामना किया। मैंने अपने लोगों को ऐसे संकट का सामना करते नहीं देखा, जो कि हमें विशेष रूप से वर्ष 1987 के दौरान करना पड़ा। श्रीमन, माननीय मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि प्रति मास वह चावल और गेहूं सभी राज्यों को दे रहे हैं। महोदय, जून, 1987 से, तमिलनाडु को केन्द्रीय भण्डार से गेहूं का एक दाना भी नहीं दिया गया है। कई बार मैं स्वयं, हमारे मुख्य मंत्री और हमारे संबंधित मंत्री यहां पर अधिकारियों से मिलें। उन्होंने हमारे राज्य के मुख्य मंत्री अथवा संबंधित मंत्रियों को समुचित उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने यह सोचा कि तमिलनाडु के लोग बिना चावल के रह लेंगे उन्होनें यह समझा कि तमिलनाडु के लोग लगातार कई वर्षो तक बिना खाद्यान्न के रह लेंगे, श्रीमन, यह स्थिति है।

मैं विशेष रूप से संबंधित मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हमारे लगातार कहने पर कि 85,000 टन चावल तमिलनाडु को वहां के लोगों के लिये तत्काल भेजा जाना चाहिये। उन्होंने इस बारे में अब तक क्या कदम उठाये हैं। यद्यपि उन्होनें यह उत्तर दिया कि वह भेजेंगे 25 से ज्यादा दिन व्यतीत हो गये हैं लेकिन हमें अन्न का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ है (समय घंटी) (रूकावट) यह तो बच्चे मर जाने के बाद रोने-चिल्लाने जैसा हैं। हमें तमिलनाडु में हो रही मौतों के उपर विलाप नहीं करना चाहिये बल्कि हमें यथाशीघ्र सहायता देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री "झ"

श्री "झ": श्रीमन, क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक भिन्न राज्य की समस्या की तरफ आकर्षित कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे राज्य की समस्या को सुलझाते समय आपका चित शांत हो जाएगा विशेषत: क्योंकि मेरे राज्य और केन्द्र सरकार के बीच कोई ऐसा विवाद नहीं है। मैं केवल कुछ आधारभूत प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा

आप जानते है कि महाराष्ट्र ने अनाज की वसूली में हमेशा सहयोग दिया है और वह कभी केन्द्र सरकार के केन्द्रीय भण्डार में जो भी कुछ वह उत्पादन करता है, अपना अंशदान देने से नहीं चूका है। और विशेषतया चीनी के सम्बनध में आप जानते ही हैं कि हम कितना उत्पादन करते हैं और कितना अंशदान दिया है अब महाराष्ट्र में, राज्य सरकार द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार चावल की स्थिति संकटपूर्ण होती जा रही है। प्रति मास 75,000 टन से घटा कर इसे आपने 25,000 टन प्रति मास कर दिया है। जिससे कि राशन आबंटन मुम्बई में आधा हो गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 25% ही उन्हे प्राप्त हो रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इतनी कटौती क्यों कि गई है और क्या महाराष्ट्र राज्य का कोटा बढाना संभव है अतः महादेय, मैं मंत्री महोदय से प्रारम्भ में यह पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में 75,000 टन से 25,000 टन की कटौती इतनी कठोरता पूर्वक क्यों की गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के गेहूं का कोटा भी जो कि 45,000 टन प्रतिमास था घटा कर 30-35,000 टन कर दिया है। आटे का कोटा भी 30,000 टन से घटाकर 20,000 टन या जो भी हो कर दिया गया है। आटे में यह कटौती अचानक ही डेढ मास के भीतर की गई है। जिससे बेकरी वालो को बेकरी बन्द करने की नौबत आ गई है। इसके साथ दूसरा पहलू भी है। क्या मंत्री महोदय मुझे यह सूचना देंगे, अगर दे सकें तो, कि विभिन्न राज्यों में विशेषतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र अ ैर अन्य राज्यों में, प्रत्येक व्यस्क को दिए गये राशन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है, ताकि हमें तुलनात्मक स्थिति का पता रहे। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि यह कमी क्यों की गई थी, क्या वह राज्यों को खरीद करने के लिये इजाजत दे सकेगें और अन्य राज्यों को राशन कितना उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय : श्री "ट"

श्री "ट": पहली बात जो मैं उठाना चाहता हूं कि राज्यों से और उपभोक्ताओं से बडी संख्या में शिकायतें आ रही हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरित खाद्यान्न प्रायः सडा हुआ होता है, मानव उपभोग के लिये ठीक नहीं है। भारतीय खाद्य निगम में ही कुछ खराबी है। मैं चाहूंगा कि खाद्य मंत्री इस मामले की गंम्भीरता से जांच करें और इसको सुधारे ताकि वहां की हालत नियंत्रण से बाहर न जायें। यह पहली बात है कि जिसे मैं बताना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि 1987 के मेरे पास यहां पर आंकडे हैं जो कि तत्कालीन खाद्य मंत्री ने अतारांकित प्रश्न के उत्तर में सदन के पटल पर रख्रे थे, जिनमें केन्द्रीय पूल भण्डार से पूर्ति और आबंटन दर्शाया गया है। अगर आप आंकडों पर ध्यान देंगे तो प्रत्येक राज्य को वास्तविक आबंटन से कम ही मिला है। ऐसा लगातार तीन वर्षो से रहा है यह वह आंकड़े हैं जो कि मुझे आपके विवरण से प्राप्त हुए हैं। अतः केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न के आबंटन का कुछ भी अर्थ नहीं है।

अब मैं तीसरी बात पर आउंगा। मैने उनसे तथ्यों की जांच की है और उन्होने बताया कि तथ्य सही है। मैं खंडन करना नहीं चाहूंगा। अब तथ्य विवरण के अनुसार है। तमिलनाडु में 1954-55 के बाद अनाज वसूली नहीं के बराबर है जैसा कि पिछले साल ही लगभग 5 लाख टन अनाज की वसूली की गई और उससे पहले तो ज्यादा से ज्यादा लगभग 20,000 से 30,000 टन की वसूली की गई थी। हो सकता है कि किसी विशेष वर्ष में यह एक लाख टन हो गया हो परन्तु फिर भी उन्होने बताया कि तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सबसे अच्छी है। यही सब कुछ बताया गया कि इन सभी वर्षो में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा औसत 30,000 टन चावल वितरित किया गया।

मैं इन आंकडों की प्रामाणिकता ही समझ नहीं पाया हूं। यदि औसतन 30,000 टन चावल की प्रति मास आपूर्ति की गई तो यह लगभग 3,60,000 टन बैठता है। जबकि वसूली 20,000-40,000 और 50,000 टन का हो

तो वे प्रतिमाह 30,000 टन की आपूर्ति करने में कैसे सक्षम होंगे, जब तक कि तमिलनाडु सरकार अथवा एम.जी. आर. के पास द्रोपदी का पौराणिक अक्षय पात्र न हो। मुझे यह समझ में नहीं आया। अत: यदि इन आंकडों को तमिलनाडु की जनता या भारत के लोगों के समक्ष रखा गया तो उनको भारत सरकार द्वारा किये गए विवरणों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। अत: अपने ही हित में उन्हें कार्यो को उचित ढंग से करने दो। इस संबंध में मैं इतना कुछ ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री "ठ"

श्री "ठ": केरल में खाद्य स्थिति इतनी विकट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अब टूटने की आशंका हो गयी है। सार्वजनिक वितरण के लिए चावल की वार्षिक जरूरत 2 लाख टन है। तथापि मासिक आबंटन मुश्किल से 95,000 टन है। यह नितान्त ही अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में खाद्यान्न के लाने ले जाने पर रोक लगा दी है। जिसके परिणामस्वरूप केरल में खाद्यान्न के कम मात्रा में पहुंचने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्षा नहीं हुई है। कीमतें बढ रही है। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मासिक आबंटन को बढाने के लिए निवेदन किया है, यह तात्कालिक महत्व की बात है कि मासिक आबंटन कोटा को कम-से-कम 1,35,000 टन के मूल कोटे तक बढाया जाए। नागरिक पूर्ति निगम को, जिन राज्यों में चावल अधिक होता है वहां से, संवैद्यानिक राशन व्यवस्था से बाहर के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल खरीदना पडता है। यह इसलिए आवश्यक है कि कीमतों पर नियंत्रण रहे और चावल उचित कीमतों पर उपलब्ध हो। निगम ने केन्द्र सरकार से 1 लाख टन चावल, उन राज्यों से, जहां ज्यादा पैदा होता है, खरीदने की अनुमति मांगी है। यह अनुमति तत्काल दी जानी चाहिए। हम से यह कहा गया है कि सारे देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए वाणिज्य फसलों को पैदा करें। इस पद्धति के कारण हमारे देश के लोगों को कष्ट उठाना पड रहा है। और अब वह गंभीरता से, खाद्यान्न को पैदा करने पर विचार कर रहे हैं। हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की, सारे देश में सबसे अच्छी तरह से कार्य के लिए, सराहना की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री: महोदय, मैंने इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए केन्द्र द्वारा उनके राज्यों के लिए खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के मुददों को ध्यानपूर्वक सुना। वर्षा के न होने और सूखे के कारण कठिनाइयों का सामना करने, देश के कुछ राज्यों की स्थिति से मैं चिन्तित हूं। यह सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कठिनाइयों में सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रही है परन्तु साफ उददेश्यों के बावजूद हम कुछ सीमाओं के कारण सहायता करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए इन सबको देखते हुए मै राज्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस दुर्भिक्ष की स्थिति में हमारा साथ दें। हम पर विश्वास करें। उनकी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में हम अपनी ओर से यथासंभव सहायता प्रदान करेंगे।

तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और अन्य कई राज्यों से मेरे मित्रों ने केन्द्रीय भण्डार से राज्यों को वितरित किए जाने वाली वस्तुओं के आबंटन की मात्रा को बढ़ाने के लिए मुद्दे उठाए हैं। तमिलनाडु से संबंधित स्थिति पर मैं कहना चाहूंगा कि उस राज्य को चावल के वितरण की स्थिति पर दिए गए प्रश्नों पर मेरे उत्तरों में वक्तव्यों के माध्यम से इस विषय पर मैं सदन में पहले ही कह चुका हूं। बल्कि अनेकों आश्वासनों के बावजूद इस राज्य के नेता केन्द्र के साथ विवाद में पड़ गए हैं और इस मामले में केन्द्र पर दबाव डालने के लिए उपवास करने लगे हैं। जब

मुख्य मंत्री महोदय ने उपवास प्रारंभ किया, मैंने तत्काल उनसे संपर्क स्थापित किया और प्रार्थना की कि यह तो एक छोटी सी समस्या है।

श्रीमान महाराष्ट्र से संबंधित मेरे मित्र श्री "ख" द्वारा उठाए मुद्दों पर मैं यह कहना चाहूंगा कि विधिवत् राशन क्षेत्रों में ही राशन कार्ड पर आबंटन नियत होता है। हम पूरी जनसंख्या को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह जहां चाहे और जहां आवश्यकता हो, वहां भेजे। और पूरा देहान्त खाद्यान्न के लिए राशन के अंतर्गत नहीं आता है अतः प्रति व्यस्क के लिए विभिन्न राज्यों में दिए जाने वाले राशन पर इनकी जानकारी मांगना अप्रासंगिक है।

महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सूखे से उत्पन्न स्थिति और समस्याओं के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय दल वहां का दौरा कर चुका है और उस दल की सिफारिशों के आधार पर सहायता के लिए मंजूरी दे दी गई है और खाद्यान्न की कमी के संबंध में विशेष केस के रूप में हमने महाराष्ट्र सरकार को पंजाब और हरियाणा से 40,000 टन चावल खरीदने की अनुमति दे दी है।

केरल राज्य के संबंध में, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि केरल ने कई वर्षों के दौरान 95,000 टन चावल उठाया है और इस वर्ष केरल अधिक चावल की मांग कर रहा है। राज्य सरकार की इस प्रार्थना पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है और केन्द्रीय भण्डार में कुल खाद्यान्नों की स्थिति और उनके अन्य राज्य सरकारों द्वारा चालू वर्ष के दौरान चावल के आबंटन की प्रार्थनाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम यथासंभव उनकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि खाद्यान्न की बचत की व्यवस्था करना केन्द्र और राज्यों की सम्मिलित कोशिश है और इसकी सफलता के लिए राज्यों की सहायता और सहयोग इस मामले में अत्यंत आवश्यक है । तथापि मैं सभी अतिरिक्त और कम उत्पादन वाले राज्यों से गुजारिश करता हूं कि कृपया इस वर्ष के सूखे और वर्षा की कमी की स्थिति से निपटने में हमें सहयोग देते रहें।

धन्यवाद ।

विधायी कार्य

विधेयकों का पुरःस्थापन

अध्यक्षः माननीय श्रम मंत्री विधेयक पुरःस्थापन करेगें।

श्रम मंत्रीः श्रीमन, मैं कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 तथा भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्षः प्रश्न हैः-

"कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 तथा भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

"जो इसके पक्ष में हैं कृपया "हां" कहें।" (अधिकतर सदस्य "हां" कहते हैं) "जो इसके विपक्ष में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें"। (बहुत कम सदस्य "नहीं" कहते हैं) मैं समझता हूं कि "हां" का बहुमत है। अतः अनुमति दी जाती है।

श्रम मंत्री: श्रीमन, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयकों पर विचार

अध्यक्ष: अब सदन में सती कर्म (निवारण) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाएगा। मंत्री महोदय।

मानव संसाधन विकास मंत्री: अध्यक्ष महादेय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

"सती कर्म तथा इसे गौरवान्वित करने को प्रभावशाली ढंग से रोकने तथा इससे सम्बन्धित मामलों अथवा प्रासंिगिक मामलों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्रीमन, सदन हमारे देश के एक गांव में, हाल ही में हुई 'सती' की घटना के अपराध के बारे में जानता है। समाज के सभी वर्गो ने इस घटना की भर्त्सना की है तथा 'सती प्रथा' और इसे महिमामण्डित करने से रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। यद्यपि आत्म-हत्या का प्रयत्न भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के अधीन जुर्म है तथा विभिन्न न्यायलायों द्वारा जुर्म करार किया गया है। इसके अलावा सती के महिमा मण्डल को रोकने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है।

इसलिए 'सती कर्म' की दुष्प्रेरणा देने वाले तथा इसे गौरवान्वित करने वालों को कडा दण्ड देने की दृष्टि से सरकार माननीय सदन के सामने इस विधेयक को लाई है। इस विधेयक की कुछ प्रमुख बातें निम्न हैं:-

1. इस विधेयक में सती की व्याख्या को व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है। इसमें न सिर्फ किसी विधवा को उसके मृत पति के साथ जिवित जलाने या दफनाने बल्कि किसी महिला या विधवा को उसके संबंधी के साथ भी जलाने या दफनाने को भी सम्मिलित किया है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि महिलाओं को उनके भाईयों और सौतले पुत्र के साथ जलाए जाने की घटनाएं भी प्रकाश में आई है।
2. कोई भी व्यक्ति यदि 'सती' होने के लिए दुष्प्रेरणा देता है तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। सती होने के लिए प्रेरित करने के लिए आजीवन कैद की सजा दी जाएगी।
3. जो भी व्यक्ति इस तरह के कार्य के लिए दण्डित होगा वह मृत व्यक्ति की संपत्ति का वारिस होने से वंचित कर दिया जाएगा। आगे भी वह व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन, इस तरह के कार्यो के लिए दण्ड पाने की तारीख से लेकर और जेल से छूटने के बाद पांच वर्षो तक अयोग्य करार दे दिया जाएगा।
4. भारतीय दण्ड संहिता में, 'सती' होने के लिए आत्महत्या करने के समान एक ही सजा का प्रावधान किया गया है। तथापि चूंकि कोई भी स्त्री अत्यधिक दबाव या विक्षिप्तावस्था में ही सती होती है, हमने इस बात का प्रावधान किया है कि न्यायालय को व्यक्ति पर मुकदमा चलाते समय उसे जुर्म करने के लिए परिस्थितियों पर भी गौर करना आवश्यक किया गया है।

5. 'सती' के महिमामण्डल को विस्तृत रूप से वर्णित किया है। जिसमें इस प्रथा का संस्कार करने, पैसा इकटठा करने तथा मंदिर निमाण आदि भी शामिल है। हम प्रस्ताव करते हैं 'सती' को गौरवान्वित करने के जुर्म की सजा के सात वर्ष के कारावास तक बढाया जाए।
6. विधेयक में विशेष अदालतों की स्थापना और लोक अधिवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है।
7. प्रस्तावित अधिनियम के लागू होने से पूर्व के सभी कानून रदद हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी निरस्त कानून के अधीन कोई कार्रवाई पहले की गयी है तो उसे इस अधिनियम के तदनरूप प्रावधान के अन्तर्गत माना जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्य दलीय मतभेदों को भूल कर हृदय से इस विधेयक का स्वागत करेंगे और इसके द्वारा इस कलंकित प्रथा को हमेशा के लिए मिटाने में मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि सती कार्य निवारण विधेयक, 1987 पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि सती कर्म और इसे गौरवान्वित करने को प्रभावी ढंग से रोकने तथा संबंधित मामलों तथा प्रासांगिक मामलों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री "एम": अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हाल ही में हुई सती की घटना की पूरे देश ने भर्त्सना त्सना की है। संचार माध्यमों ने भी इस घटना को प्रकाश में लाने की अपनी भूमिका निभाई है। संसद ने इसे पूरी गम्भीरता से लिया है। सरकार ने एक कानून बनाने का संकल्प किया है। एक विधेयक लाया गया जो सरकार के बुराई से लडने का निश्चय का प्रतीक है। सरकार के उस निश्चय के उस निर्णय का प्रतीक है जिससे देश को रूढिवादिता की ओर फिर से न देखना पडे।

श्रीमन हम जानते हैं कि राजाराम मोहन राय के समय में क्या हुआ था। अपने दिनों में महात्मा गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कितने कठोर शब्दों में सती प्रथा की भर्त्सना की थी। उन्होंने न सिर्फ सती प्रथा की बुराई की थी बल्कि पीछे बनी मानसिकता की भी भर्त्सना की थी हमारे समाज से इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन में राजा जी के योगदान को हम नहीं भूल सकते। यह उनके ही अथक प्रयास थे कि अंग्रेजी सरकार फोर्ट विलियम के शासक को सती प्रथा रोकने के लिए रेग्युलेशन बनाना पड़ा, जिसे बंगाल रेग्युलेशन, 1828 तथा मद्रास रेग्युलेशन, 1929 के नाम से जाना जाता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पूरे देश में जागरूकता तथा शिक्षा का प्रसार किया जिससे लोगों को यह समझने में मदद मिली कि कुछ कटटरपंथी व्यक्तियों के हितों के लिए किस प्रकार महिलाओं को बलि का बकरा बनाया जाता था । लेकिन आज ऐसा लगता है कि राजा जी द्वारा किए गए महान कार्य व्यर्थ हैं। हम शायद दुबारा पुराने युग में लौट रहे हैं। इस बारे में हमारे बुद्धिजीवियों और धार्मिक लोगों को गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

वापस विधेयक पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक पर दो मत नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य चाहे वह किसी भी दल का हो इसे अपना पूरा समर्थन देगा।

अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का मूल स्रोत एक ही है। जैसा कि सभी जानते हैं दोनों पिछड़ेपन और आर्थिक विपन्नता के कारण पैदा होते हैं। इस पिछडेपन के कारण ही इस तरह के कृत्य और सामाजिक व्यवहार पनपते हैं। हमें मानव व्यवहार को नुकसान पहुंचाने वाली प्रत्येक प्रवृत्ति के खिलाफ लडना है। उदाहरण के लिए पशु बलि को लीजिए। पशु बलि स्पष्ट रूप से मानवीय प्रवृत्ति के खिलाफ है। इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं और आन्दोलन भी हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सती किसी भी प्रकार से मानव बलि से कम नहीं हैं, हमें हर कीमत पर इसे रोकना होगा।

श्रीमन, इतना कहकर मैं आपका ध्यान विधेयक की ओर दिलाना चाहूंगा यह बहुत अच्छा विधेयक है क्योंकि यह माना जाता है कि पति के मरने पर स्त्री सही मानसिक अवस्था में नहीं होती उसे अनावश्यक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए। सती तो शत प्रतिशत हत्या है इसे इस विधेयक में अधिक स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। यदि इसकी जिम्मेदारी पूरी तौर पर सतीकर्म करने में सम्मिलित दूसरे लोगों पर डाली जाए तो मैं समझता हूं कि इस प्रथा को प्रभावी रूप से हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है।

अन्त में, मैं इस तथ्य पर बल देना चाहूंगा कि सामाजिक-आर्थिक विकास इस तरह की सामाजिक बुराइयों की प्रवृत्ति का उन्मूलन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। अपने इन शब्दों के साथ मैं पूरी तरह इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष: श्रीमती "एन"

श्रीमती "एन": श्रीमन सदन के सामने यह सबकी सम्मिलित भावना का प्रदर्शन है। सती की हाल की घटना से पूरे देश ने अपने आपको अपमानित महसूस किया है। पूरे देश में, इसकी भर्त्सना करने और मेरा दल इन आन्दोलनों में सबसे आगे रहा है। लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ही सरकार इस विधेयक को लाने के लिए विवश हुई है।

लेकिन श्रीमन दु:खद बात यह है कि जो विधेयक सरकार सामने लाई है उनमें काफी खामियां है और उन महिला संगठनों के, जो सुझाव देने की बेहतर स्थिति में हैं, उनसे परामर्श किए बिना इस विधेयक को बनाया गया है जब कि वे इस क्षेत्र में काफी कार्य कर चुके हैं।

यह विधेयक बताता है कि सती होना आत्महत्या के समान ही दण्ड है। यदि किसी महिला को मरने पर मजबूर किया जाता है तो आरोप उस पर नहीं बल्कि उसके हत्यारे पर लगने चाहिए लेकिन विधेयक द्वारा ठीक यही किया गया है इसलिए इस विधेयक के खिलाफ यही मेरी आपत्ति है।

विधेयक में कलेक्टर या जिलाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि सती से संबंधित अपराधों को रोकें। यदि कानून को पूरी तरह लागू ही करना है तो गांवों में पहले से स्थित ग्रामीण स्तरीय संगठनों को इस तरह के अपराधों को रोकने के अधिकार मिलने चाहिए। जब तक जिलाधीश को घटना की सूचना पहुंचेगी उस समय तक वह हो चुका होगा । स्त्री को पहले ही जला दिया गया होगा। इसलिए ग्रामीण संगठनों को अधिकार देने की भी जरूरत है। दान में पैसा देना या सती मन्दिर को जमीन दान में देना अपराधों में शामिल नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार बड़े औद्योगिक घरानों को बचाना चाहती है, क्योंकि वे सब भी दानकर्ता हैं। धन या जमीन का दान भी अधिनियम के अन्तर्गत अपराध होना चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगी कि ग्रामीण स्तर पर इस बुराई को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए एक सतर्कता समिति बनाई जानी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम सेवक तथा अध्यापकों को इस समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए। इस समिति के कार्य का समन्वय करने के लिए जिला स्तर पर सतर्कता समिति बनाई जानी चाहिए।

इसलिए जहां मैं इस तरह के विधेयक को लाने के विचार का समर्थन करती हूं, वहीं मैं यह कहती हूं कि इस विधेयक को पास करने से पहले इसमें आवश्यक संशोधन कर लिए जाएं।

श्री "ओ": श्रीमन, मंत्री महोदय सुन नहीं रहे हैं। वह सदस्य को न सुन कर साथी मंत्री को सुन रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री: श्रीमन, मैं सुन रही हूं।

श्री "पी": उनके दो कान हैं

हंसीः

श्रीमती "एन": सबसे पहले विधेयक से प्रतिक्रियावादी भावना की बू आती है कि सती अपनी मर्जी से किया गया कार्य है। इसलिए इसमें सिर्फ प्रेरित करने के बारे में कहा गया है तथा उस अपराध के बारे में नहीं कहा गया जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता है। यह इस असहाय औरत को सजा देता है जो सामाजिक परिस्थितियों की शिकार है। जहां तक मैं समझती हूं इस विधेयक के अनुसार स्त्री ही इस कार्य के लिए पहली अपराधी है। दूसरे लोग तो केवल प्रेरित करने वाले ही हैं। इसमें प्रतीत होता है कि स्त्री की ओर से वह स्वेच्छिक कार्य है। श्रीमन, राजाराम मोहन राय ने 150 वर्ष पहले ही जान लिया था कि सती अपनी मजीर् से किया गया कार्य हो ही नहीं सकता लेकिन आज वर्तमान सरकार इसे समझने में असमर्थ रही है। इसलिए इस विधेयक के विरूद्ध यह मेरी आपत्ति है। विधेयक अपराधियों को पर्याप्त छूट देता है जैसे स्त्री अपने संकल्प पर दृढ रहता चाहती है इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए।

दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि इस अपराध को सज्ञेय या गैर-जमानती अपराध वर्गीकृत नहीं किया है। यह आश्चर्य की बात है कि एक अपराध का दंड सजाए मौत है और यह संज्ञेय अपराध नहीं है, इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यह विधेयक जैसा अब है यदि इसी रूप में पास कर दिया जाए तो यह आशानुरूप प्रभावी नहीं होगा। हम इस भयानक अपराध को रोकने में अप्रभावी रहेंगे। इस देश की महिलाएं इसे सहन नहीं करेगी और जब तक इस कानून को और कड़ा नहीं बनाया इससे संघर्ष करती रहेंगी।

श्रीमन, मैं कहना चाहती हूं कि यद्यपि यह विधेयक सती की बुराई का मुकाबला करने की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन समस्या का असली समाधान लोगों को शिक्षित करने में ही है। हमारे पास पहले ही एक अधिनियम है जिसे भारतीय दंड संहिता कहा गया है, जिसके अंतर्गत सती होने या सती को प्रेरित करने वालों के लिए कडी सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद भी यह अत्यंत दु:ख की बात है कि हमारे देश में न्यायालयों के रिकार्ड के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात 41 सती के केस हो चुके हैं। इन 41 केसों के अलावा मैं नही जानती कि कितनी स्त्रियां सती हो चुकी हैं और कितनी स्त्रियां सती करार दिए बिना मर रही हैं। जो कि अत्यधिक अपमानजनक बात है। हम हजारों विधेयक पास कर सकते हैं पर जब तक बिना सामाजिक दृष्टिकोण के हम इस समस्या का सामना नहीं करते मुझे संदेह है हम सामाजिक कुरीति का उन्मूलन कर पायेंगे। इसलिए श्रीमान, इस

विधेयक में निहित मूल उददेश्य पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विधेयक को वर्तमान रूप में अपना समर्थन नहीं दे सकती।

धन्यवाद।

अध्यक्ष: श्री "पी"

श्री "पी": श्रीमन इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए मै आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सती के विभिन्न पहलुओं पर नहीं जाउंगा क्योंकि इस विषय पर मेरे से पहले के प्रबुद्धदिक्ता काफी कुछ बोल चुके हैं, मैं केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यद्यपि विधेयक एक बुराई को रोकने की दिशा में एक सराहनीय प्रयत्न है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस देश में बहुत से लोग मूलभूत रहन-सहन और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इस कुरीति में विश्वास करते रहे हैं। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किस तरह से विधवाओं की सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए। मेरे विचार से यह उन परिस्थितियों को दूर करने में सहायक होगा जो इस बुराई के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है। सरकार को गंभीरता से इस समस्या की ओर देखना चाहिए। विधवा को स्वतंत्र आजीविका के योग्य बनाने के लिए मदद और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए व मुझे आशा है कि सरकार मेरी बात समझती है। सामाजिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। कानून केवल एक इंजेक्शन है। सामाजिक शिक्षा उसकी निरोधक दवा टीका है। सरकार को केवल सुई लगाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि यह भी देखना चाहिए कि इस सामाजिक बीमारी, सती के खिलाफ लोगों को टीके दिए जा रहे हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको अपने देश में सामाजिक क्रांति लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए तथा संकीर्णता और रूढिवादिता को जड़ से उखाडने का प्रयत्न करना चाहिए यह केवल स्त्रियों के अधिकारी का प्रश्न नहीं है। यह हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय सम्मान और मानवीय अस्तित्व भी है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि भारत में अधिक से अधिक लोग चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, सती के खिलाफ इस धर्मान्दोलन में संविधान तथा महिलाओं के गौरव के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हुए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष: श्रीमती "क्यू"

श्रीमती "क्यू": अध्यक्ष महोदय, श्रीमन, मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है कि वर्ष 1987 में जबकि हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, हमें इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। क्या हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं व यह बहुत ही दुःख की बात है कि जो कदम राजाराम मोहन राय ने 1829 में उठाए थे उन्हें आज भी उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। 150 वर्ष बाद इतिहास आज फिर से दोहराया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस कुप्रथा के पुनरूत्थान के पीछे कुछ लोगों की लालच की भावना है। मेरे विचार से सती प्रथा के पीछे यही वास्तविक कारण है। उददेश्य है विधवा की सम्पत्ति और धन को हथियाना। इस बुराई के पीछे संबंधियों के आर्थिक उददेश्य ही होते हैं। सती के महिमा-मण्डल के लिए कुछ गांव वाले भी जिम्मेवार हैं क्योंकि वे उन लोगों की मदद करते हैं जो विधवा की सम्पत्ति हथियाना चाहते हैं। इसके पीछे कोई और तर्क नहीं है। यदि एक दिन किसी पति को जबरदस्ती अपनी पत्नी की चिता पर जला दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह सती प्रथा तुरन्त समाप्त हो जाएगी।

मेरा विचार है कि यह विधेयक सही दिशा में एक कदम है और सरकार को इस सदन के समक्ष लाने के लिए बधाई दी जानी चाहिए। तथापि, मैं यह भी महसूस करती हूं कि इसके बाद भी इस बारे में युद्ध-स्तर पर दूसरे

साधनों का प्रयोग होना चाहिए। जैसा कि यहां मेरे मित्रों ने पहले भी जोर दिया है। मेरा भी यह विचार है कि इस गलत प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा लोगों के विभिन्न वर्गो द्वारा तथा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा, समाजिक आर्थिक उपाय शुरू किए जाने चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश में महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की भी आवशकयता है। यही इस बुराई के पूर्ण उन्मूलन का रास्ता है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष: मानव संसाधन विकास मंत्री।

मानव संसाधन विकास मंत्री: श्रीमन, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होनें इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं उनका भी आभारी हूं जिन्होंने इस पर रचनात्मक आलोचना दी। मैं उन सभी सुझावों के प्रति आभारी हूं जो हमें दिए गए।

मुख्य सुझावों के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि सती तथा अन्य बुराइयों का संबंध इस देश की महिलाओं की स्थिति से है लेकिन मैं समझता हूं कि हम उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां एक देश के रूप में महिलाओं के स्तर उठाने और सभी क्षेत्रों में उनको मान्यता देने के लिए वचनबद्ध हैं। जो सुझाव दिया गया है वह इस प्रथा से पीड़ित महिला के बारे में ही है। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 आत्महत्या के प्रयत्न के बारे में है और सभी न्यायलयों में अभी तक इस कार्य को आत्महत्या के रूप में ही लिया है। अब तक जबकि कोई अन्य विधान नहीं था इसी धारा के अन्तर्गत सती या सती होने के प्रयासों को लिया जाता रहा है। जब तक हम इस तरह के जुर्म को करने का प्रयत्न करने पर सजा देने के लिए तैयार नहीं कर सकते। यदि आप कहते हैं कि सती होने का प्रयत्न तथा सती के लिए उकसाना जुर्म है, और अब हम इस तरह के जुर्म के लिए आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं।

श्री "एम": श्रीमन, इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या समझा जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्री: श्रीमन, मुझे स्पष्ट करने दें, मैं पूर्णत: सहमत हूं कि एक महिला जिसे उसके पति की चिता में जलने से बचाया गया है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होती शायद यह भी नहीं जानती कि वह क्या कर रही है। सम्भवत: उसे ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाता है या उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं होता।

हम पूर्णत: सहमत है कि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें उसे बाध्य किया गया हो और इससे बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं हो। अभी भी यह दण्ड संहिता के अन्तर्गत आत्महत्या करने का एक मामला है। संरक्षण के रूप में हम विधेयक में कह चुके हैं कि एक वर्ष का अधिकतम कारावास दिया जा सकता है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इसे घटाया जा सकता है क्योकि अधिकतर न्यायालय जब वे इस तरह के केसों पर विचार करेंगे तो वे महिला को एक वर्ष के लिए जेल नहीं भेजेंगे। हमने धारा 3 में एक प्रावधान जोड़ा है जिसके अनुसार:-

"परन्तु यह कि इस धारा के अन्तर्गत विशेष न्यायालय जब विचार कर रहा हो तो किसी भी व्यक्ति को दण्ड देने से पहले किए गए कृत्य, कार्य करते समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति, दूसरे संबंधित तथ्य तथा वे परिस्थितियां जिनके कारण वह कृत्य किया गया है उन पर भी विचार करेगा।"

इसलिए श्रीमन, यह प्रावधान न्यायालय को पूरा विकल्प प्रदान करता है कि वह जुर्म को बिल्कुल ही भिन्न स्तर पर देखें। इसलिए मैं नहीं सोचता कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिस लड़की को सती होने से बचाया गया हो उसे जेल भेज दिया जाएगा।

श्री "एक्स": श्रीमनी लेकिन उसे दण्डित किया जाएगा। न्यायालय के पास सजा कम करने का अधिकार है। लेकिन उसे दण्डित किया जाएगा।

श्री "एम": श्रीमन लेकिन उस पर मुकदमा तो चलाया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री: श्रीमन जब भी सती का कोई मामला घटित होगा तो उस महिला को कटघरे में बुलाया जाएगा, उसकी जांच, प्रति-जांच की जाएगी क्योंकि वही मुख्य गवाह होती है। उसे न्यायालय के सामने लाया जाएगा। तथापि, जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया है कि उस महिला को दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है क्योकि न्यायालयों को ऐसे मामलों को अधिकतम सहानुभूति में देखना होगा। जो कुछ घटा हो जिसके लिए वह स्त्री जिम्मेदार नहीं, आप एक महिला के अभाव में मुकदमा नहीं चला सकते।

श्रीमन दूसरी आलोचना यह है कि अधिनियम जुर्म हो जाने के बाद ही लागू होता है, इसे रोकने को हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। मैं इस अधिनियम की धारा 6 की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें इस जुर्म के लिए केवल आशंका ही थी। ऐसी सूचना प्राप्त हो कि यह अपराध होने जा रहा है। इसलिए यह निरोधात्मक भी है।

जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुददों का संबंध है कि जुर्म संज्ञेय नहीं है, कुछ गलतफहमियां प्रतीत होती हैं, क्योंकि किसी भी जुर्म के लिए जहां दण्ड सात वर्ष या अधिक की जेल हो, आजीवन कारावास हो या मृत्युदण्ड हो वह अपने आप संज्ञेय हो जाता है और गैर-जमानती होता है। हमने ऐसा यहां उल्लिखित नहीं किया है, लेकिन भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अपने आप यहां लागू हो जाते हैं।

श्री "एम": भारतीय दण्ड संहिता नहीं बल्कि दण्ड प्रक्रिया संहिता।

मानव संसाधन विकास मंत्री: हां, दण्ड प्रक्रिया संहिता। मैं क्षमा चाहता हूं इस सुधार के लिए आपका धन्यवाद। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता है और इसलिए यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है। अतः मैं समझता हूं संदेह स्पष्ट हो गया होगा।

श्रीमन, माननीय सदस्य श्री "पी" ने विधवाओं के पुनर्वास का प्रश्न उठाया है, प्रासंगिक रूप में अधिनियम के किसी भी प्रावधान से संबंधित नहीं है। श्रीमन, इस विषय पर कई विभागों, राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों से संबंध है। जिस राज्य में हाल ही में यह घटना घटी है, उस राज्य को सरकार ने राज्य सेवा में विधवा को नौकरी करने की अधिकतम सीमा लागू होगी। मैंने राज्य सरकार के उक्त आदेश को प्राप्त कर लिया है और तुरन्त ही सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों को इस अपील के साथ भेज दिया है। उनके राज्यों में भी इस प्रकार के आदेश लागू किए जाएं।

मुझे आशा है कि मैंने सदस्यों के अधिकतर मुददों का उत्तर दे दिया है। मैं एक बार फिर आपके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं तथा इस अधिनियम को लागू करवाने में आपका सहयोग चाहता हूं। मैं सदन में इस विधेयक को पास करने का निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष: प्रश्न है :

"कि सती कर्म और इसे गौरवान्वित करने को प्रभावी ढंग से रोकने तथा इससे संबंधित मामलों को अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

जो इसके पक्ष में हैं हां कहेंगे"

(बहुमत हां कहता है)

जो इसके विपक्ष में हैं "नहीं" कहेंगे।

(अल्पमत "ना" कहता है)

मेरा विचार है "हा" का बहुमत है"। "हां" का बहुमत है, "हां" का बहुमत है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है।

खंडश: विचार

अध्यक्ष: अब प्रश्न है कि खण्ड 2-10 तक विधेयक का अंग बने। श्री "एम" द्वारा खण्ड 5 में एक संशोधन है आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री "एम": नहीं श्रीमन, मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के मद्देनजर मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष: अब प्रश्न है कि खण्ड 2-10 विधेयक का अंग बनें। जो इसके पक्ष में हैं वे "हां" कहें।

(बहुमत "हां" के पक्ष में है)

जो इसके विपक्ष में हैं कृपया "नहीं" कहें।

(अल्पमत "नहीं" के पक्ष में है)

मेरा विचार है कि "हां" का बहुमत है, "हां" का बहुमत है, "हां" का बहुमत है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। खण्ड 2-10 तक विधेयक का अंग बन गए हैं।

अब प्रश्न है:

"कि खण्ड 1 विधिनिर्माण का फार्मूला तथा शीर्षक अधिनियम सत्र तथा विधेयक का अंग बने"

जो इस पक्ष में है कृपया "हां" कहें बहुमत "हां" कहता है जो इसके विपक्ष में हैं कृपया "नहीं" कहें।

(अल्पमत "नहीं" के पक्ष में है)

मैं समझता हूं कि "हां" का बहुमत है, "हां" का बहुमत है, "हां" का बहुमत है।

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री।

मानव संसाधन विकास मंत्री: श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

जो इसक पक्ष में हैं कृपया "हां" कहें

(बहुमत "हां" के पक्ष में हैं)

जो इसके विपक्ष में हैं कृपया "नहीं" कहें

(अल्पमत "नहीं" के पक्ष में है)

मैं समझता हूं कि "हां" का बहुमत है, "हां" का बहुमत है, "हां" का बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प

अध्यक्ष: अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर विचार करेगा। श्री "पी" संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री "पी": श्रीमन में निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:

"यह सदन यह सिफारिश करता है कि सरकर को:

1. नशीली दवाओं के बढते खतरे को प्रभावी रूप से खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो देश को विशेषकर युवा वर्ग को अध:पतन कर रही है, तथा
2. नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए संस्थागत प्रबंध करने चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय, आज नशाखोरी की आदत देश की एक बड़ी समस्या है। यह हमारे देश और हमारे युवा वर्ग को कमजोर कर रही है। आज नशीली दवाओं का सेवन बड़े शहरों में कुछ सीमित वर्गो तक ही नहीं है। यह हमारे देश में छोटे शहरों और गांवों तक में सर्वत्र फैली है।

सबसे दु:खद बात यह है कि छोटे बच्चे भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं है। आप यह जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि बम्बई में, तो निर्दोष बच्चों को टॉफियेां के माध्यम से नशीली दवाओं का आदी बनाया जा रहा है।

एक बार नशे का आदी बनने के बाद इसे छोड़ना लगभग असंभव ही है। अन्त में इन दवाओं को खरीदने के लिए पैसा प्राप्त करने के लिए किशोरों में अपराध करने की प्रवृत्ति पनपती है।

मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में इन दवाओं के बढ़ने का कारण यही है कि नशीली दवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केन्द्र बन गया है। इसमें बहुत सा पैसा लगा है और बड़े लोग इस क्षेत्र में लगे हैं। यह दुख:द बात है कि पैसे की भूख मिटाने के लिए वे अपराधी लोग दूसरों का जीवन बर्बाद करने में भी नहीं हिचकते। आज यह एक कानून और व्यवस्था या स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। सरकार को इस समस्या से कई मोर्चों पर मुकाबला करना होगा।

मैं सरकार के समक्ष निम्नलिखित सुझाव रखता हूं:

सबसे पहले सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समन्वित कार्रवाई होनी चाहिए। वित्त, गृह, कल्याण कानून व स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा इस समस्या का सामना किया जाना चाहिए।

दूसरे, कानून के अन्तर्गत सजा बहुत ही कम है। इस व्यवसाय में घंटों में ही करोडों रूपए कमाये जाते हैं। कुछ देशों में तो नशीली दवा बेचने वालों को गोली से उड़ा दिया जाता है। हमें यह सजा अधिक लगे। लेकिन लोगों द्वारा समाज को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को देखते हुए हमें और प्रभावी तथा सख्त सजा देने पर विचार करना चाहिए। दो लाख जुर्माना और कुछ वर्षो की कैद की सजा पर्याप्त नहीं है। इस तरह के अपराधों के लिए और सजा होनी चाहिए और सरकार को वर्तमान कानूनों में संशोधन करने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

तीसरे, गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्तराष्ट्रीय सीमाओं से नशीली दवाओं की तस्करी न होने पाए। हमारे देश को दूसरे देशों के लिए दवाओं की तस्करी के लिए रास्ता न बनाया जाए। इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए स्थानीय पुलिस बल भी बनाया जाना चाहिए। नशाखोरों, विशेषकर जो स्कूल और कालेजों के निकट सक्रिय रहते है, पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

सरकार को प्रदर्शनियों, रेडियो, टेलीविजन, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से उचित प्रचार अभियान को बढ़ाना चाहिए। लोगों को शिक्षित बनाना चाहिए और नशे की लत से होने वाले खतरों की जानकारी देनी चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष: श्री "यू"

श्री "यू": श्रीमन, मैं प्रबुद्ध सदस्य द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से मैं इस संकल्प को सामने लाने के लिये उन्हें बधाई देता हूं।

विशेषकर मैं उनसे सहमत हूं कि दण्ड कम है। मुझे दुख है कि ऐसे लोगों को हल्के रूप में सजा दी जाती है। मेरा विचार है इसके लिए संक्षिप्त प्रक्रिया में दण्ड दिया जाना चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि कोई एक बार को सोने के तस्कर या चोर को माफ किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई किसी नशीली दवाओं के व्यापारी को माफ कर सकता है। श्रीमन, कोई स्वास्थ्य बिगाड़ता है और कोई धन की बरबादी करता है। लेकिन नशीली दवाएं लोगों का स्वास्थ्य, धन तथा चरित्र सबकी बर्बादी करती है। चरित्र की गिरावट नैतिक रूप से पतन करती है और हमारे देश को पीछे ले जाती है।

मैं माननीय सदस्य से भी सहमत हूं जिन्होनें यह संकल्प रखा कि सरकार को कई मंत्रालयों की समन्वित कार्रवाई से नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। यदि नशीली दवाओं के खतरे पर अभी आघात नहीं किया गया तो यह हमारे पूरे देश को तबाह कर देगा। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष: श्री "जैड"

श्री "जैड": श्रीमन, सबसे पहले मैं श्री "पी" को इस संकल्प के माध्यम से इस समस्या की भयावहता को सामने लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसा कि उन्होंने सही कहा है कि यह समाज के जीवन को खोखला कर रही है।

जैसाकि इस चर्चा के लिए दिया गया समय कम है मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूंगा। मैं दो सुझाव रखना चाहूंगा, पहला यह है कि सरकार को यह जानना चाहिए कि नशीली दवाओं की समस्या है और इसके लिए स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले अधिक परामर्श केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

दूसरे, जो श्री "पी" ने प्रचार माध्यमों की भूमिका के बारे में कहा है मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं चेतावनी स्वरूप एक बात कहना चाहूंगा कि प्रचार माध्यमों का अधिक उत्साहपूर्ण रूख केवल लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के लिए ही उकसाएगा बल्कि यह चुनींदा और बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रचार होना चाहिए जिसे हमें वास्तव में वांछित परिणाम मिलने में मदद मिलेगी।

श्रीमन मैं इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा इसमें सम्मिलित लोगों की चार प्रकार की श्रेणियों होती हैं। उत्पादक, दवाओं का वाहक, गली मुहल्लों में खुदरा बेचने वाला और अन्त में वास्तविक उपभोक्ता।

सामान्यत: केवल खुदरा विक्रेता ही पकड़ा जाता है तथा उसे सजा दी जाती है। दूसरे, दो व्यक्ति उत्पादक तथा वाहक बच जाते हैं क्योंकि वे पूरी तरह छिप जाते हैं। ये बड़े लोग हैं जिन्हें सजा दी जानी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दो प्रकार के व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए केवल तभी कुछ सीमा तक इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस सदन के माननीय सदस्य श्री "पी" के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस समस्या की ओर पूरा ध्यान देगी।

अध्यक्ष: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, मैं संकल्प प्रस्तुत करने वाले "पी" तथा दूसरे माननीय सदस्यों का जिन्होंने संकल्प पर देश के समक्ष जीवंत सामाजिक समस्या पर अपने विचार रखे। मेरे इस समय

बोलने का उद्देश्य सदन के समक्ष सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इस समस्या का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी रखना है।

श्रीमन, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसी सरकार ने ऐतिहसिक स्वापक और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 बनाया है । श्रीमन इस अधिनियम में कारावास की कडी सजा दस से बढाकर बीस साल की गई तथा पहला जुर्म करने पर 2 लाख का जुर्माना रखा है। यहां तक कि कार्य करने उसे उकसाने का षडयंत्र करना भी एक संज्ञेय अपराध माना गया है। सूचना देने वालों के लिए या माल पकडने वालों के लिए इनाम की राशि 10 से 20 प्रतिशत तक बढा दी है। देश में सभी शुल्क निदेशालयों में विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

नवम्बर 1983 से जनवरी 1986 तक पकड की तेजी में वृद्धि हुई और 780 किलो हेरोइन, 8300 किलो चरस तथा 23,000 किलो गांजा पकड़ा गया है।

पिछले तीन वर्षो से ज्यादा स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थ 1985 में पकडे गए हैं। यह इस अधिनियम के कडाई से लागू किए जाने का ही परिणाम हैं। दिल्ली और बम्बई पुलिस द्वारा विशेष अभियान छेडे़ गए हैं। तटीय तथा सीमा सतर्कता को भी बढाया गया है। सीमावर्ती राज्यों में उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं।

अभियोगों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है। 1984 में 1243 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। 1985 में अधिनियम पारित होने के बाद 1300 व्यक्तियों को गिरफतार करके उन पर मुकदमा चलाया गया।

श्रीमन स्वास्थ्य पक्ष की ओर जाते हुए नशे के आदी व्यक्तियों के इलाज की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। तथापि इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 71 के तहत नशे के शिकार व्यक्तियों के केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई और मुझे सरकार की ओर से घोषित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने स्वास्थ्य मंत्रालय के सौजन्य से राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्यक्रम शुरू किया है। शुरू में इसे चार महानगरों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में तथा इम्फाल, वारणसी, गोआ, चण्डीगढ तथा श्रीनगर में शुरू किया जाएगा ।

कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित, कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है । चार कैम्प पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। सोलह और आयोजित किए जा रहे हैं।

बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू किया गया है। वित्त मंत्रालय ने जन साधारण शिक्षा कार्यक्रम के लिए 15 लाख उपलब्ध कराए हैं। उत्प्रेरक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

मैं राजनीतिक दलों से देश में जन आन्दोलन शुरू करने की अपील करना चाहूंगा। नशीली दवाओं का दरुपयोग जो हमारे देश के सामाजिक तन्तु को नष्ट करने की क्षमता रखता हूं, उससे सरकार को लड़ने में मदद देने के लिए छात्रों, युवाओं, महिलाओं तथा दूसरी लोक संस्थाओं से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आहवान करता हूं।

इस समस्या में मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रयत्नों को ध्यान में रखते हुए, श्रीमान मैं आपके माध्यम से श्री "पी" से अपना संकल्प वापस लेने का निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष: श्री "पी"

श्री "पी": श्रीमन मैं अपने संकल्प पर माननीय सदस्यों द्वारा किए गए समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हं्ू। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए तथा चूंकि इस खतरे का सामना करे के लिए पहले ही एक कानून बनाया जा चुका है। मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या को मिटाने के लिए बडे् उपाय करेगी। इसलिए, मैं अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य को संकल्प वापस लेने की अनुमति है।

सदस्यगण: "हां" "हां"।

अध्यक्ष: संकल्प सदन की अनुमति से वापस लिया जाता है।

अब सदन की कार्यवाही कल पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।